



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 51927 सन् 2025

पुरुषोत्तम दास अग्रवाल

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : पीयूष कुमार शुक्ला

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : महेश कुमार कुन्तल, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन किया गया।

2- धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर दिनांक 12 मई, 2001 की आरोप-पत्र, दिनांक 19 जुलाई, 2001 के संज्ञान/समन आदेश तथा आपराधिक वाद संख्या 2256 वर्ष 2001 (नवीन संख्या 3367 वर्ष 2015) (राज्य बनाम पुरुषोत्तम दास अग्रवाल), जो मुकदमा अपराध संख्या सी-2 वर्ष 2000, धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं., थाना-सदर बाजार, जनपद-झाँसी से उत्पन्न हुआ है तथा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, झाँसी के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3- वर्तमान आपराधिक आवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 16 फरवरी, 2026 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को पक्षकारों के मध्य हुए समझौते

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को उसके सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा विचारण न्यायालय को तदनुसार उसका सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया।

4- उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 19 मई, 2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए उक्त समझौते का सत्यापन किया है, जिसकी एक प्रति दिनांक 5 जुलाई, 2026 को दाखिल अनुपूरक शपथपत्र के साथ अभिलेख पर लाई गई है।

5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और उक्त समझौते का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सत्यापन कर दिया गया है, अतः उपर्युक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जाए।

6- राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को यदि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

7- यह न्यायालय माननीय शीर्ष न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:

(i)- बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य; (2003) 4 एस.सी.सी. 675,

(ii)- निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (2008) 9 एस.सी.सी. 677,

(iii)- मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 1,

(iv)- जियान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012); 10 एस.सी.सी. 303,

(v)- नरिंद्रा सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस.सी.सी. 466,

(vi)- डिम्पी गुजराल पत्नी विवेक गुजराल एवं अन्य बनाम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, जरिए प्रशासक एवं अन्य; (2013) 11 एस.सी.सी. 497,

(vii)- एच.एन. पांडाकुमार बनाम कर्नाटक राज्य; 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 38, तथा

(viii)- नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2025) 4 एस.सी.सी. 78.

8- उपर्युक्त निर्णयों में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2013 (83)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए.सी.सी. 278 में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि की विस्तार से व्याख्या की गई है।

9- उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त उल्लिखित आपराधिक मामले की कार्यवाही को लंबा खींचने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों ने पहले ही अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है।

10- तदनुसार, आपराधिक वाद संख्या 2256 वर्ष 2001 (नवीन संख्या 3367 वर्ष 2015) (राज्य बनाम पुरुषोत्तम दास अग्रवाल), जो मुकदमा अपराध संख्या सी-2 वर्ष 2000, धारा 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं., थाना-सदर बाजार, जनपद-झाँसी से उत्पन्न हुआ है तथा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 1, झाँसी के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा रद्द की जाती है।

11- वर्तमान अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

24 अगस्त, 2026

सुशील/-